-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा चोरियों का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 05 बण्डल एल्युमीनियम के तार बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 02.09.2026 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना नरैनी क्षेत्र के अवर अभियन्ता श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 01.09.2026 को थाना नरैनी में तथा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के श्री सर्वेश कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात में विद्युत के तार अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सूचना दी गई थी । जिसके संबंध में थाना नरैनी व कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया । इसी क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी करते हुए अभियुक्त की पहचान की गई । मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने अभियुक्त माजिद पुत्र शाबिर को पिपरहरी गेट के सामने अतर्रा नरैनी मुख्य मार्ग पर बने यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार कर लिया । पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने अपने साथी रामकृपाल उर्फ कृपाली के साथ मिलकर कुछ दिन पूर्व 02 बण्डल तार थाना नरैनी क्षेत्र से व 03 बण्डल तार थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से चोरी किए थे । अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 05 बण्डल एल्युमीनियम तार बरामद किया गया ।

बरामदगी-

- 05 बण्डल एल्युमीनियम तार (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. माजिद पुत्र शाबिर निवासी ग्राम कल्हरा थाना नरैनी जनपद बांदा ।

फरार अभियुक्त-

2. रामकृपाल उर्फ कृपाली (लाइनमैन अतर्रा पावर हाऊस) जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 237/26 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0- 229/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री भास्कर मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना नरैनी
2. उ0नि0 श्री अश्वनी गुप्ता
3. कां0 अजय यादव
4. कां0 सुनील कुमार